ई–मेल

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/भूअ/एलआरसी/प–63/05/4611–42 दिनांकः 2/04/05

जिला कलक्टर
(समस्त)

विषयः पटवारी द्वारा जमाबन्दी की हस्तलिखित नकलें जारी करने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः उप–शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–2) विभाग के पत्र क्रमांक
प–7(2)राज/2/2003 पार्ट–।।/ दिनांक 31.03.05 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य की समस्त तहसीलों में एल.आर.सी. योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने तथा योजना की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुये राजस्व मण्डल के आदेश क्रमांकः राम/ भू.अ./ एल.आर.सी./ प–68/ 02/ 13494–507 दिनांक 27.10.2004 के द्वारा उपरोक्त सभी संबंधित को जरिये ई–मेल अवगत करवाते हुये यह निर्देश दिये गये थे कि 31.01.2005 के बाद कोई भी पटवारी हस्तलिखित जमाबंदी की नकल जारी नहीं करेगा और यदि विशेष परिस्थितियों में हस्तलिखित जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति जारी की जानी आवश्यक होगी तो इस बाबत लिखित अनुमति संबंधित तहसीलदार/ नायब तहसीलदार से ली जानी आवश्यक होगी ।

प्रभावी की गई उपरोक्त व्यवस्था की राज्य सरकार के उच्च स्तर पर समीक्षा करने के दौरान आम जनता के लिए इस व्यवस्था को असुविधा जनक समझा गया । अतः राज्य सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के निर्देशानुसार लेख है लैण्ड रिकार्ड कम्प्यूटराईजेशन प्रोजेक्ट के तहत तहसील स्तर पर क्रियाशील अपना खाता केन्द्र के माध्यम से जमाबंदी की कम्प्यूटरीकृत नकले यथावत जारी करने की प्रक्रिया के साथ–साथ पूर्वतः की भॉति काश्तकार को जमाबन्दी की हस्तलिखित प्रति पटवारी द्वारा जारी की जाती रहेगी तथा इस बाबत संबंधित तहसीलदार/ नायब तहसीलदार की लिखित में अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। यह व्यवस्था जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है ।

भवदीय,

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांकः राम/सम/ दिनांक /04/05

प्रतिलिपीः–

1 उप–शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ ।

उप–निबन्धक (भू.अ.)
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर